

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 282/2019

दायर दिनांक 04.12.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. सुभाना पत्नी मोहम्मद मुस्तफा जाति देशवाली निवासी दिन दरवाजा के बाहर डीडवाना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. दौलाराम पुत्र मोती 2. रामेश्वर पुत्र मोती 3. चन्द्राराम पुत्र मोती 4. भंवराराम पुत्र खांगाराम 5. रामनिवास पुत्र खांगाराम 6. भगवानराम पुत्र खांगाराम 7. हनुमानाराम पुत्र गंगाराम 8. सांवराराम पुत्र गंगाराम 9. गणेशी पुत्री खांगाराम 10. पूर्णी पुत्री खांगाराम समस्त जाति जाट निवासी सूपका तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 11. मोहम्मद इरफान पुत्र मो0 ईशाक जाति जुलाहा निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना 12. मैनेजर न्यू बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ललासरी 13. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0
बनाम्	

दावा बाबत्
बंटवारा अन्तर्गत धारा-53 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री ओमप्रकाश पूनिया वकील, वादी।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 21.01.2020

सरहद सूपका में खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वार्डमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 13.01.2020 को तहसीलदार डीडवाना निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 126 दिनांक 20.01.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 282/2019
दायर दिनांक 04.12.2019, निर्णय दिनांक 21.01.2020
सुभाना बनाम दौलाराम, वगैरा।

द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 126 दिनांक 20.01.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सूपका में खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 126 दिनांक 20.01.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 126 दिनांक 20.01.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(अंशुल सिंह)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 21.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागर)

डिक्री बमुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 282 / 2019

दायर दिनांक 04.12.2019

वादी	प्रतिवादीगण
1. सुभाना पत्नी मोहम्मद मुस्तफा जाति देशवाली निवासी दिन दरवाजा के बाहर डीडवाना तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. दौलाराम पुत्र मोती 2. रामेश्वर पुत्र मोती 3. चन्द्राराम पुत्र मोती 4. भंवराराम पुत्र खांगाराम 5. रामनिवास पुत्र खांगाराम 6. भगवानराम पुत्र खांगाराम 7. हनुमानाराम पुत्र गंगाराम 8. सांवराराम पुत्र गंगाराम 9. गणेशी पुत्री खांगाराम 10. पूर्णी पुत्री खांगाराम समस्त जाति जाट निवासी सूपका तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 11. मोहम्मद इरफान पुत्र मो0 ईशाक जाति जुलाहा निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना 12. मैनेजर न्यू बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ललासरी 13. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0


दावा बाबत
बंटवारा व रिकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा-53 R.T.Act.

दिनांक 21.01.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुदई श्री ओमप्रकाश पूनिया, वकील, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सूपका में खेत खसरा नम्बर 348 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा भूमि का "वाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 126 दिनांक 20.01.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 126 दिनांक 20.01.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... वावत.....-.....
.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। वरावत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.01.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


सहायक कालेक्टर
डी डवाना (नागौर)

